

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/Others/20983/2016

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

- | | |
|---|--|
| (i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र | - छत्तीसगढ़ राज्य |
| (ii) जिला | - बस्तर |
| (iii) वन प्रभाग | - बस्तर वन मण्डल, जगदलपुर |
| (iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में) | - 2.68 हे. |
| (v) वन की कानूनी स्थिति | - ग्राम महुपाल बरई पटवारी हल्का नं. खसरा नं. 97, 98, 171 एवं 173 रकबा 2.68 हे. राजस्व वन भूमि (छोटे झाड़ का जंगल) में छत्तीसगढ़, राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित जगदलपुर जिला- बस्तर द्वारा 220/132/33 के.व्ही. उपकेंद्र निर्माण हेतु प्रस्तावित है। |
| (vi) हरियाली का घनत्व | - निरंक। |
| (vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल-2 मीटर की परिगणना और एफ आर एल -4 मीटर भी संलग्न की जाए) | - कोई वृक्ष नहीं है। |
| (viii) भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी | - नहीं |
| (ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | - कक्ष 1438 पी से लगभग 02 कि०मी० दूर |
| (x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए) | - नहीं |
| (xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें। | - नहीं |

(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्ववीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तदवसंबंधी प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।

नहीं।

8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग - 1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जाचें गए विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/ आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।

लागू नहीं है।

(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/ अवकमित वन क्षेत्र, और आस पास की सीमाओं को दर्शाता मैप।

लागू नहीं है।

(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।

लागू नहीं है।

(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

लागू नहीं है।

(x) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टि से सक्षमप्राधिकरण से प्रमाणपत्र (संबंधित वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)

लागू नहीं है।

11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

प्रस्तावित क्षेत्र 40,000 हे० कम होने के कारण वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट आवश्यक नहीं है

12. विभाग/जिला प्रोफाइल

4091.000 वर्ग कि०मी०

(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र

(ii) जिले का वन क्षेत्र

अरक्षित वन	-	1083.761 वर्ग कि.मी.
संरक्षित वन	-	661.326 वर्ग कि.मी.
असिंमांकित वन	-	466.720 वर्ग कि.
		<u>2211.807 वर्ग कि.मी.</u>

(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र

कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना	- 595.630 हे०
प्र०मं०ग्र०स०ये० गिट्टी उत्खनन ग्राम उडियापाल,डिलमिली इरपा	- 2.400 हे०
बी०आर०ओ० सडक चौडिकरण	-37.031 हे०
सर्वेक्षण संग्रहालय निर्माण	- 0.789 हे०
रेल लाईन निर्माण	-10.763 हे०
भोण्ड जलाशय	- 0.630 हे०
पीठापुर जलाशय	- 7.860 हे०
तारापुर जलाशय	-19.448 हे०
रक्षा अनुसंधान एवं विकास	-132.598 हे०
पुलिस चौकी निर्माण	-0.900 हे०
पानी पाईप लाईन निर्माण	-25.720 हे०
विद्युत लाईन निर्माण	-4.712 हे०
जल विद्युत परियोजना	-19.718 हे०

योग 858.199 हे०

(i) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।

नहीं।

(ख) वनेत्तर भूमि पर

नहीं।

(ii) तक प्रति पूरक वनीकरण में हुई प्रगति

(क) वनभूमि

वैकल्पिक वृक्षारोपण	- 5635.000 हे०
आर.डी.एफ	- 6200.000 हे०
<u>योग</u>	<u>- 11835.000 हे०</u>
30.00 हेक्टेयर	

(ख) वनेत्तर भूमि पर

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

ग्राम महुपाल बरई खसरा नं. 97, 98, 171 एवं 173 रकबा 2.680 हे. राजस्व वनभूमि (छोटे झाड़ का जंगल) में छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कं. मर्या. जगदलपुर जिला बस्तर द्वारा 220/132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है। अतः वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु अनुशंसा एतद् द्वारा की जाती है।

दिनांक:- 26/09/2016
स्थान:- जगदलपुर


(राजू अगसिमनि)
वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर